"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 639] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/10/1890. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/10/1104 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	निरंक		

जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	गण्डई	मानपुर नाका	चकनार, दौजरी, मानपुर नाका, जीराटोला, बगदूर
2	लिमों	ढाबा	ढाबा, मुण्डाटोला, सर्राकापा, सेतवा, दुल्लापुर, खौडा, भुरसाटोला, कोदवा
3	बरबसपुर	सम्बलपुर	सम्बलपुर, बिरनपुरखुर्द, सुखरी
4	हनईबन	भुरभुसी	भुरभुसी, गोकना, बागुर, टीकरीपारा, बेंदरी
5	धोधा	पथर्रा	छिराहीडीही, मजगांव, पथर्रा
6	झुरानदी	कोर्राय	साखा, कोर्राय, आमगांव, बिडौरी, गभरा
7	अमलीडीह	भूलाटोला	भूलाटोला, कुलीकसा, टेकापार
8	मुढीपार	गातापार जंगल	गातापारजंगल, नवांगांव, लक्षना, सांकरी, लिमउटोला, घाघरा, टेमरी, बरगांव, करेलागढ़, सहसपुर, गाडाघाट, बोरला, दल्लीखोल, मौहाढार, कटेमा, पंडीछापर, मलैदा
9	भण्डारपुर	चिचोला	उरईडबरी, सलगापाट, घोंघेडबरी, सारंगपुर, चिचोला, मदनपुर, गोपालपुर
	बढ़ईटोला		ताकम
10	ईटार	बरबसपुर	बरबसपुर, खैरबना, सांकरा, बांकलसर्रा
11	अतरिया	कुकुरमुडा	कुकुरमुडा, चंदैनी, डुण्डा
12	उदयपुर	साल्हेकला	साल्हेकला, कुटेलीकला, ओडिया

13	नचनिया	सहसपुर	सहसपुर, नवागांव, सरोधी, विपतपुर, गोलरडीह, दल्ली, परसाही, रेंगाखार
14	रामपुर	जामगांव	जामगांव, आमगांव, समनापुर, राजाबर
15	पैलीमेटा	ठाकुरटोला	ठाकुरटोला, भदेरा, सिंगारपुर, बेलगांव, तुमडादाह, सुकतरा, डंडुटोला, गर्रा, पटपर, भंडारपुर, झुढारा, देवरच्चा, झिरिया, लावातरा, झुमरकोन्हा, चम्पाटोला
16	टोलागांव	दामरी	दामरी, रूसे, जुरलाकला, रीवागहन
17	आमदनी	भरतपूर	भरतपूर, तेलीटोला, नवागॉवकंवर, मंडलाटोला
18	मडौदा	धनगांव	धनगांव, बिडौरी, घुमर्रा, बावली
19	जालबांधा	बघमर्रा	बघमर्रा, राहुद
20	गाडाडीह	दिलीपपुर	दिलीपपुर, खजरी, कांचरी, खमतराई, मोंगरा, लालपुर
21	अमलीपारा	कुम्ही	मुसका, दुल्लीटोला, झोराझोरी, सर्रागोंदी, कुम्ही, कोयलीकछार, उदरीनवांगांव, दपका
	ईटार		झीकादाह, गाड़ाघाट
22	कामठा	पांडुका	नवागॉवकला, मुतेड़ा, सलिहा, कौडिया, पांडुका
23	सलौनी	मदराकुही	सोनभट्टा, मुडभादुर, मदराकुही, सहसपुर
24	बढ़ईटोला	देवारीभाठ	भरदाकला, देवारीभाठ, धनेली
25	विचारपुर	महरूमकला	पचपेडी, ठेलकाडीह, महरूमकला, मरकामटोला, तुलसीपुर, छछानपहरी, फत्तेपुर, सिंगारपुर, गोपालपुर

जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – तीन

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
1	2	3	4	5
1	गोपालपुर	कानीमेरा, कोहलाटोला, गढबंजा, खुडमुडी, बाबूनवागांव, श्यामपुर, रामपुरनवागांव, उरतुली, भेण्डरा, लक्ष्मणपुर, बुढ़ानभाट, छुईखदान, घोघरे, बीरूटोला, हाटबंजा, जंगल बुढ़ानभाट, मडवाभाठा		लक्ष्मणपुर
		चोरलाडीह, छिंदारी, डुमरडीह	भोथली (पाटा)	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.